

8/4/25

श्रीनि. वी. टी.
जिला कलेक्टर, धौलपुर

आमिभाषक अपीलान्ट उपर नहीं। अपीलान्ट को कई
बार आवाजें लगायाई गई परन्तु अपीलान्ट एवं उनके
आमिभाषकों में से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः
यह अपील अदम दायरी व अदम पैरवी में खारिज
की जाती है। पगावली फेल्लु शुमार होकर नुम्बर से
काम क्ली जाकर साड तकमील दारिख्त रफतार है।
अडिश सुनाया गया।

श्रीनि. वी. टी.
जिला कलेक्टर, धौलपुर